राजस्व संग्रहण में रीवा ननि प्रदेश में प्रथम

ओवरऑल प्रतिशत वृद्धि में भी रहा निगम अव्वल

नवभारत न्यूज

रीवा, 4 अप्रैल, नगर पालिक निगम रीवा ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व वसूली के क्षेत्र में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है.

5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों की श्रेणी में जारी कलेक्शन ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार रीवा नगर निगम ने न केवल सर्वाधिक राजस्व संग्रह किया, बल्कि ओवरऑल प्रतिशत वृद्धि में भी प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. रीवा नगर निगम ने कुल 58.89 करोड़

रुपये (वित्तीय वर्ष 2024-25) के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 82.41 करोड़ रुपए की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए सर्वाधिक राजस्व संग्रह किया, जो प्रदेश में शीर्ष स्थान पर रहा. राजस्व के विभिन्न मदों सम्पत्तिकर, जलकर, किराया, विविध आय एवं भवन अनुज्ञा में संतुलित और प्रभावी वसूली रणनीति के चलते यह सफलता प्राप्त हुई है. इस उपलब्धि के पीछे निगम प्रशासन द्वारा चलाए गए विशेष अभियान, नवाचार, लोक अदालत के माध्यम से दी गई छूट, करदाताओं को जागरूक करने के प्रयास, सतत मॉनिटरिंग, कर्मचारियों के अथक प्रयासों के साथ-साथ पार्षदों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र में करदाताओं को प्रेरित एवं मोबिलाइज करने में दिए गए सहयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

सफलता का श्रेय कर्मचारियों को दिया

नगर निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे के मार्गदर्शन में पूरी टीम ने समन्वित प्रयास करते हुए यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. निगम प्रशासन ने इस सफलता का श्रेय शहरवासियों के सहयोग, करदाताओं की जागरूकता, जनप्रतिनिधियों के सक्रिय योगदान एवं निगम कर्मचारियों की मेहनत को दिया है.

कलेक्टर का आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त

सहकारी समिति को ब्लैकलिस्ट करने का मामला

नवभारत न्यूज

रीवा, 4 अप्रैल, मप्र हाईकोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा है कि किसी भी संस्था को बिना सुनवाई का अवसर दिए ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता.

जस्टिस एसएन भट्ट की एकलपीठ ने उक्त मत के साथ रीवा कलेक्टर का वह आदेश निरस्त कर दिया है, जिसमें एक सहकारी समिति को ब्लैक लिस्ट किया गया था. न्यायालय ने मामले में स्पष्ट किया है कि पहले याचिकाकर्ता को शोकॉज नोटिस दिया जाए. फिर उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए, इसके बाद ही कोई भी कार्रवाई

की जाए. दरअसल यह मामला रघुराजनगर तहसील स्थित सेवा सहकारी समिति के मैनेजर सतीश पांडे की ओर से दायर किया गया है. जिसमें कहा गया कि धान खरीदी में कथित गड़बड़ी के आरोप में कलेक्टर ने बिना सुनवाई के ही समिति को ब्लैकलिस्ट कर दिया. इससे समिति को आगामी अनाज खरीदी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया. आवेदक की ओर से तर्क दिया कि धान खरीदी से होने वाली आय ही समिति सदस्यों की मुख्य आजीविका है. अब ब्लैकलिस्टिंग की एक तरफा कार्रवाई के बाद सदस्यों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जायेगा. बिना सुनवाई का मौका दिए की गई यह कार्रवाई अवैधानिक और मनमानी है. सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने माना कि 6 नवंबर 2025 के ब्लैकलिस्टिंग के आदेश से पहले याचिकाकर्ता को न तो कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर का आदेश निरस्त कर दिया.

उर्वरक वितरण में अनियमितता पर दो विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

शासन की ई प्रणाली का पालन नहीं

नवभारत न्यूज

सतना 04 अप्रैल. किसानों को उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं सुगमता प्राप्त करने हेतु जिले में ई-विकास प्रणाली एवं कृषि आपूर्ति समाधान प्रणाली लागू की गई है।

मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर सतना डॉ. सतीश कुमार एस के मार्गदर्शन में 1 अप्रैल 2026 से जिले में उर्वरकों का वितरण पूर्णतः ई-विकास प्रणाली के माध्यम से किया जाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए सभी उर्वरक कंपनियों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को पूर्व में ही पत्र और बैठकों के माध्यम से निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद 4 अप्रैल 2026 को आईएफएमएस पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मे. मोतीलाल सिंह ग्राम बेला विकासखण्ड रामपुर बाघेलान एवं मे. राधे-राधे ट्रेडर्स वृंदावन चौराहा कोठी विकासखण्ड सोहावल द्वारा ई-विकास प्रणाली के बाहर उर्वरकों का विक्रय किया गया। इसे उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 का उल्लंघन मानते हुए उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास आशीष पाण्डेय द्वारा दोनों संस्थाओं के उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित विक्रेताओं के लिए उर्वरकों का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे केवल ई-विकास प्रणाली के माध्यम से ही उर्वरकों का विक्रय करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कम से कम एक बोरी उर्वरक की बिक्री का ही प्रावधान है, खुली बोरी से विक्रय न किया जाए।

किसानों से भी अपील की गई है कि वे ई-विकास प्रणाली के माध्यम से टोकन बुक कर ही उर्वरक क्रय करें, जिससे पारदर्शी और सुगम वितरण सुनिश्चित हो सके।

मौसम ने ली करवट, काले बादलों से बढ़ी किसानों की चिंता

दो दिन से बदले मौसम के मिजाज ने बढ़ाई फसल खराब होने की आशंका

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 4 अप्रैल। जिले में बीते दो दिनों से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और मंद-मंद हवाएं चल रही हैं, जिससे किसानों की धड़कनें तेज हो गई हैं। इस अनिश्चित मौसम ने खासतौर पर उन किसानों की चिंता बढ़ा दी है, जिनकी फसल कटकर खलिहान में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी गहाई का काम पूरा नहीं हो पाया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय गेहूं की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और अधिकांश फसल खलिहानों में रखी हुई है। किसान गहाई के लिए अनुकूल मौसम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आसमान में छाए बादल उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि इस दौरान बारिश हो जाती है, तो गेहूं की फसल भीगकर खराब हो सकती हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। केवल गेहूं ही

नहीं, बल्कि आम और महुआ की फसल पर भी इस बदले मौसम का असर पड़ने की आशंका है। आम के बौर और महुआ के फूल इस समय संवेदनशील स्थिति में हैं और तेज हवा या बारिश से इनके झड़ने का खतरा बना हुआ है। इससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। गांवों में किसान दिन-रात आसमान की ओर नजरें टिकाए हुए हैं। कई किसान अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल आदि का सहारा ले रहे हैं, लेकिन यह उपाय भी पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। मौसम के इस बदलते स्वरूप ने किसानों की चिंता और बेचैनी दोनों बढ़ा दी है।

प्रशासन ने की अपील

किसानों ने प्रशासन से अपील की है कि समय-समय पर मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। फिलहाल सभी की निगाहें आसमान पर टिकी हैं और किसान साफ मौसम की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि उनकी मेहनत सुरक्षित रह सके।

कुंड में डूबने से युवती की मौत, मर्ग कायम कर जांच शुरू

गिरते ही मिली सूचना पर जीवित नहीं निकाला जा सका

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 4 अप्रैल। जिले के जियावन थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंदवार चौकी क्षेत्र में एक युवती की कुंड में डूबने से मौत का मामला सामने आया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम निवासी युवक सुखलाल सिंह ने चौकी पहुंचकर सूचना दी कि उसकी बहन अनारकली बीते दिन शुक्रवार की सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच घर से निकली थी। इसी दौरान वह गांव के पास स्थित कुंड में गिर गई, जिससे उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही वे मौके पर पहुंचे, जहां युवती को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में यह मामला दुर्घटनावश डूबने का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। वहीं, घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

छुट्टी के दिन खुला हाईकोर्ट, मकान नहीं तोड़ने के दिये आदेश

नवभारत न्यूज

रीवा, 4 अप्रैल, पटवारी तथा नगर निगम के अधिकारियों ने मकान तोड़ने की धमकी दी थी. जिसके खिलाफ पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए छुट्टी के दिन मामले की सुनवाई करने के निर्देश जारी किये थे. जस्टिस विनय जैन की एकलपीठ ने शनिवार को याचिका की सुनवाई करते हुए मकान नहीं तोड़ने के आदेश जारी किये हैं. रीवा निवासी याचिकाकर्ता तेजबली सिंह तथा उसकी पत्नी अमरावती की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उन्होंने ग्राम चिरहुला तहसील-हुजूर में 696 वर्ग फुट का प्लॉट आवंटित किया गया था. हलका पटवारी तथा नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें मौखिक रूप से घर तोड़ने की धमकी दी है. उन्होंने कहा है कि कहा है कि नगर निगम तथा स्थानीय बल का प्रयोग कर वह उसका मकान गिरा देंगे. सरकारी अधिवक्ता की तरफ से बताया गया कि रीवा कलेक्टर से उन्हें इस संबंध में किसी प्रकार के दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए है. याचिकाकर्ता ने नगर निगम की संभावित कार्यवाही के खिलाफ याचिका दायर की है. उसके आरोप भी नगर निगम के खिलाफ है. याचिका में नगर निगम रीवा की तरफ से वह पैरवी नही कर रहें है.

अनावेदकों को दिया नोटिस

एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान करते हुए अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता के कब्जे वाले घर को नही तोडा जाये. एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के निर्देश जारी किये है. याचिका पर अगली सुनवाई हाईकोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद निर्धारित की गयी है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता प्रफुल्ल शर्मा ने पैरवी की.

डंडा के प्रहार से युवक की निर्मम हत्या, आरोपी गिरफ्तार

- कमर्जी पुलिस की त्वरित कार्यवाही में आरोपी चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

सीधी, 4 अप्रैल. लकड़ी के डंडा से पीटकर युवक को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को कमर्जी पुलिस की त्वरित कार्यवाही में चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी

के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं एसडीओपी चुरहट रवि प्रकाश कौल के मार्गदर्शन में थाना कमर्जी पुलिस ने ग्राम पाठ में हुई हत्या के मामले में तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की त्वरित सक्रियता और सटीक घेराबंदी के चलते आरोपी को भागने का अवसर नहीं मिल सका। पुलिस के अनुसार दिनांक 04 अप्रैल 2026 की दरमियानी रात ग्राम पाठ में प्रयागराज (उ.प्र.) निवासी राहुल कुमार मौर्या उम्र 33 वर्ष की लकड़ी के डंडे से पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कमर्जी द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी कमर्जी उप निरीक्षक इंद्राज सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने परंपरागत पुलिसिंग के साथ-साथ तकनीकी साक्ष्यों और सक्रिय मुखबिर तंत्र का समन्वय स्थापित किया। सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी अंकित कुमार रावत पिता राजेन्द्र कुमार रावत उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम पाठ को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पकड़ने में सफलता प्राप्त की।

अपराध एवं वैधानिक कार्यवाही

फरियादी सत्यम मिश्रा की रिपोर्ट पर थाना कमर्जी में आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 103(1) बीएनएस 2023 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी ने संदेह के आधार पर मृतक पर प्राणघातक हमला किया था। वर्तमान में आरोपी से विस्तृत पूंछताछ की जा रही है तथा वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्यवाही जारी है।

ये रहे कार्रवाई में शामिल

उक्त त्वरित कार्यवाही में थाना प्रभारी कमर्जी उप निरीक्षक इंद्राज सिंह एवं उनकी समस्त टीम की विशेष एवं सराहनीय भूमिका रही। उनकी सजगता और कर्तव्यनिष्ठा के फलस्वरूप एक गंभीर अपराध के आरोपी को शीघ्रता से गिरफ्तार करना संभव हो सका।

नवानगर में खड़े ट्रक में लगी भीषण आग, जलकर खाक

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 4 अप्रैल। जिले के नवानगर थाना क्षेत्र में आज शनिवार की दोपहर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरा ट्रक कुछ ही देर में जलकर खाक हो गया। हालांकि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।

जानकारी के अनुसार घटना दोपहर करीब 2 बजे नवानगर थाना परिसर की बाउंड्री के पास हुई। अचानक ट्रक में आग लगने से क्षेत्र में अफरा-तफरी का

माहौल बन गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि थाना परिसर तक आग फैलने की आशंका जताई जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची।

करीब पांच दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग को फैलने से रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। नवानगर थाना प्रभारी अनिल पटेल ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।

सेमरिया में आकाशीय बिजली गिरने से भाई-बहन की मौत

नवभारत न्यूज

रीवा, 4 अप्रैल, घर से जंगल में महुआ बिने गए भाई बहन की आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक मौत हो गई.

घटना सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदिहा के डोडी जंगल की बताई गई है. घटना की सूचना पर मौके के पर पुलिस और प्रशासनिक हमला पहुंचा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदिहा निवासी दादू कोल का बेटा राजन कोल और बेटी सविता कोल जंगल में शनिवार की सुबह महुआ बिने गए हुए थे. बताया गया है कि महुआ बिनने के दौरान ही अचानक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई और आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आए भाई-बहन की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. साथ में मौजूद अन्य लोगों द्वारा इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस सहित प्रशासनिक कमला मौके पर पहुंचा है और दोनों के सबों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. बताया गया है कि दादू कोल की बेटी की शादी इसी माह के 30 तारीख को होने वाली थी लेकिन उससे पहले ही बेटी की मौत हो गई और खुशियों के पहले ही घर में मातम छा गया है.

जय स्तंभ चौक में साइकिल सवार के ऊपर चढ़ी बस, गंभीर रूप से घायल

नवभारत न्यूज

रीवा, 4 अप्रैल, रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक साइकिल सवार बस की चपेट में आ गया. गनीमत रही की युवक के पैर के ऊपर से बस गुजर गई जिसके कारण उसके पैर तो बुरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन उसकी जान बच गई. फिलहाल घायल युवक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसा शनिवार दोपहर उस समय हुआ जब घायल युवक अमित सिंह साइकल में सवार होकर अपने निवास जय स्तंभ से ट्रांसपोर्ट नगर की ओर जा रहा था तभी चौहान ट्रेवल्स की बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. बता दे की रीवा शहरी क्षेत्र में बस ऑपरेटर की प्रतिस्पर्धा के चलते सड़क पर सवारी भरने से लेकर एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है. बता दे की पुराने बस स्टैंड से निकलकर सड़क पर सवारी भरने की परंपरा आज भी कायम है, लेकिन इस पर जिम्मेदार अधिकारियों की नजर नहीं पड़ती, शायद यही कारण है कि आज एक युवक बस आपरेटरों के इसी प्रतिस्परधा का शिकार हो गया, जो अब जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है.

नई शिक्षा नीतियों से बदल रही शिक्षा की तस्वीर : विश्वामित्र

नवभारत न्यूज

देवसर 4 अप्रैल। विधानसभा क्षेत्र सिहावल अंतर्गत सांदीपनि शा उत्कृष्ट उमावि देवसर में स्कूल चले हम अभियान के तहत छात्र अभिनंदन एवं प्रवेशोत्सव समारोह का आयोजन विधायक सिहावल विश्वामित्र पाठक के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती जी के पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक विश्वामित्र पाठक ने कहा कि शिक्षा जीवन में सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों

को अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शासकीय विद्यालयों में लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

छात्राओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और शिक्षा से ही वे आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इस अवसर पर लाला सिंह प्राचार्य, रमेश द्विवेदी मंडल अध्यक्ष, अरुण द्विवेदी एसडीओ आरईएस सहित अन्य मौजूद रहे।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित. संपादक- संजय पयासी* फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99